



GUDHA INTERNATIONAL SCHOOL

(An English Medium Co-educational Residential Cum Day Sr. Sec. School)

Run by : Dayal Shikshan Seva Samiti, Jasrapur

To

Central Board of Secondary Education
Affiliation Unit, AMC Cell
Preet Vihar,

Subject – Letter regarding CBSE affiliation

Respected sir/mam,

In reference to the mail received stating the online registration number- SS-90233-2324 for CBSE affiliation on SARAS Portal and subsequent scrutiny of the Mandatory documents uploaded by the school,

School certifies that the name of school has been changed from Shree Banshidhar Memorial Public School, Jasrapur to Gudha International School on 10/08/2022 having affiliation no. 2950 issued by District Education Officer (Secondary), Jhunjhunu, Rajasthan. In addition, the name changed letter issued by District Education Officer (Secondary), Jhunjhunu, Rajasthan is already attached with the recognition certificate. Here, school is again reuploading the recognition certificate along with the name changed letter.

Principal

Gudha International School

Jasrapur, Khetri (Jhunjhunu)

Gudha International school

Jasrapur

9530090055

विद्ययाऽमृतमश्नुते

सचिव

दयाल शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर, जिला झुंझुनूं

मान्यता कोड : RJJN32449

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JHUNJHUNUN ,
राजस्थान

क्रमांक: 2950

दिनांक 10-08-2022

सचिव

प्रबंध समिति

SH.BANSIDHAR MEMORIAL PUB.SCHOOL JASRAPUR


विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 41066 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SH.BANSIDHAR MEMORIAL PUB.SCHOOL JASRAPUR पता JASRAPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JASRAPUR ब्लॉक KHETRI आसा पासा (पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिण) PIPALI ROAD, JASRAPUR खसरा न. 2657/341 को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	SH.BANSIDHAR MEMORIAL PUB.SCHOOL JASRAPUR
स्वीकृत नवीन नाम	GUDHA INTERNATIONAL SCHOOL



सचिव

दयाल शिक्षण सेवा समिति
असरापुर, जिला झुन्झुनू

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू

दुरभाष एवं फ़ैक्स नम्बर- 01592 - 235475/235474 E mail Id :- deoelejnn@gmail.com

क्रमांक:- जिशिअ/प्रारं/झुं/मान्यता/2014/1830

दिनांक:-18.07.2014

सचिव/अध्यक्ष,

श्री बंशीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल,

जसरापुर, प.स. खेतड़ी, झुन्झुनू।

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधिन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक: 07.04.2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै. श्री बंशीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जसरापुर, प.स. खेतड़ी, झुन्झुनू को सत्र 2014-15 से नवीन मान्यता कक्षा 1 से 5 तक (अग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ौस के कमजोर वर्गों के और अलाभ पद के समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण पत्र न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपबन्ध/ निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
 - (1) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में उन्नर्त्तीण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधिन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्ताग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (6) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधिन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भितर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधिन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।
 - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुष्ठात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

सचिव

दयाल शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर, जिला झुन्झुनू

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू

दूरभाष एवं फ़ैक्स नम्बर- 01592 - 235475/ 235474 E mail Id :- deoelejinn@gmail.com


10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालयों के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुँच
अध्यापक पढ़न सामग्री/किड़ा खेलकुद उकस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बहार विद्यालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या किड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजिकरण अधिनियम 1958 के अधिन पंजिकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधिन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समुह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालयों के लेखों के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **82** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार /स्थानिय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
18. सोसायटी के पंजिकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावें।
19. संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।



साचेव

दयाल शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर, जिला झुन्झुनू

भवदीय,


(इन्द्राज सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू

दूरभाष एवं फ़ैक्सनम्बर- 01592 - 235475/ 235474 E mail Id :- deoelejin@gmail.com

कमांक:- जिशिअ/प्रारं/झुं/मान्यता/2015/ 2185

दिनांक:- 6.10.15

सचिव/अध्यक्ष,

श्री बंशीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल,
जसरापुर, पं.स. खेतड़ी, झुन्झुनू।

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक: 29.04.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं, श्री बंशीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जसरापुर, पं.स. खेतड़ी, झुन्झुनू को सत्र 2015-16 से कक्षा 6 से 8 तक (अग्रेजी माध्यम) कमौन्नति के लिए अन्तिम संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ौस के कमजोर वर्गों के और अलाभ पद के समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरतियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण पत्र न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपबन्ध/ निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
 - प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में उन्तूर्तिण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधिन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।



सचिव

दयाल शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर, जिला झुन्झुनू

- अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भितर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधिन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
 10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
विद्यालयों के समस्त प्रविष्टन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं- विद्यालय परिसर का क्षेत्र, कल निर्मित क्षेत्र, क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल, कक्षा कमरों की संख्या, प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई, बाधा रहित पहुंच एवं अध्यापक पढ़न सामग्री/क्रीड़ा खेलकुद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
 11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बहार विद्यालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
 12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजिकरण अधिनियम 1958 के अधिन पंजिकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधिन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समुह या किन्ही अन्य व्याक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 15. विद्यालयों के लेखों के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुंझुनू को भेजी जानी चाहिए।
 16. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक **116** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
 17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुंझुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार /स्थानिय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
 18. सोसायटी के पंजिकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावें।
 19. संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।




सचिव

दयाल शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर, जिला झुंझुनू

भवदीय,


(मोहनलाल यादव)


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा झुंझुनू



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्डुनू

कार्यालय आदेश


सत्र 2016-17 नवीन मान्यता/कमोन्नति एवं अन्य मान्यताओं आदि के क्रम में श्री बंशीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जसरापुर पं.स. खेतडी, झुन्डुनू के आवेदन पत्र क्रमांक 11541 दिनांक 06.05.2016 और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं श्री बंशीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जसरापुर पं.स. खेतडी, झुन्डुनू को सत्र 2016-17 से ही कक्षा 8 अग्रेजी माध्यम के लिए अन्तिम संसूचना देता हूँ। संस्था का मान्यता क्रमांक, मान्यता कोड एवं शर्तें इस कार्यालय द्वारा सत्र 2015-16 में जारी की गई कमोन्नति मान्यता पत्रांक 2185 दिनांक 06.10.2015 के अध्याधीन रहेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा झुन्डुनू
दिनांक:- 28/11/16

क्रमांक:-जिशाअ/प्रारं/झु/मान्यता/2016/2741

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. संस्था सचिव/प्रधान श्री बंशीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जसरापुर पं.स.खेतडी, झुन्डुनू।
2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति खेतडी।
3. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा झुन्डुनू


सचिव

दयाल शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर, जिला झुन्डुनू

मान्यता कोड : RJJN30576

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JHUNJHUNUN,
राजस्थान

क्रमांक: 2270

दिनांक 19.01.2021

सचिव

प्रबंध समिति

SH.BANSIDHAR MEMORIAL PUB.SCHOOL JASRAPUR

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 37399 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SH.BANSIDHAR MEMORIAL PUB.SCHOOL JASRAPUR पता PIPALI STAND, KHETRI ROAD, JASRAPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JASRAPURA ब्लॉक KHETRI को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	Yes

[Signature]
सचिव
जिला शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर जिला झुंझुनूं

[Signature]
सचिव
जिला शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर जिला : झुंझुनूं

[Signature]
19/01/21
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, झुंझुनूं

मान्यता कोड : RJJN31819

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JHUNJHUNUN , राजस्थान

क्रमांक: 2131

दिनांक 31/01/2022

सचिव

प्रबंध समिति


SH.BANSIDHAR MEMORIAL PUB.SCHOOL JASRAPUR

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 40227 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SH.BANSIDHAR MEMORIAL PUB.SCHOOL JASRAPUR पता JASRAPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JASRAPUR ब्लॉक KHETRI आसा पास (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण) PIPALI ROAD, JASRAPUR खसरा न. 2657/341 को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10)
विद्यालय की स्वीकृत क्रमोन्नति कक्षा स्तर	Pr. with Up.Pr. sec. with Higher Sec (1-12)
विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No
मान्यता का माध्यम	English
स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream)
वाणिज्य संकाय	
कला संकाय	
कृषि संकाय	


सचिव
दयाल शिक्षण सेवा समिति
जसरापुर, जिला झुंझुनूं


31/1/22
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, झुंझुनूं